भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 81 /2014

No.E(P&A)II-98/HRA-6 **New Delhi, dated 24.7.2014.**

The General Manager/CAO's
All Indian Railways & Production units.

Subject: Grant of House Rent Allowance to Railway employees posted to new Zones/new Divisions - Regarding.

*****

Attention is invited to the instructions contained in Board's letters of even number dated 9.3.2004, 9.8.2005, 9.8.2006, 12.12.2007, 24.10.2008, 10.12.2009 and 01.07.2013 on the above subject.

2. The matter has been considered by the Board subsequent to issue of letters No. E(G)2009 QR 1-2 dated 01.07.2013 and 07.05.2014 and it has been decided that railway employees posted to ECR and NWR may be allowed house rent allowance upto 31.3.2015 on the same terms and conditions laid down in the letter of even number dated 09.03.2004 ibid and as amended/clarified from time to time.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(K.Shankar)
Director/E(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/HRA-6 **New Delhi, dated 24.07.2014**

Copy forwarded to :

(i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Prod Units etc.
(ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

(K.Shankar)
Director/E(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/HRA-6 **New Delhi, dated 24.07-2014**

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

....2/-

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं. 81/2014

सं. ई(पीएंडए)।।-98/एच.आर.ए-6 नई दिल्ली, दि. 24.07.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि ।

विषय :- नई रेलों/नए मंडलों में तैनात रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करना.

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 9.3.2004, 9.8.2005, 9.8.2006, 12.12.2007, 24.10.2008, 10.12.2009 और 01.07.2013 के समसंख्यक पत्र में उल्लिखित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. दिनांक 01.07.2013 और 07.05.2014 के पत्र सं. ई (जी)2009 क्यूआर 1-2 के पत्रों को जारी किए जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की गई और यह विनिश्चिय किया गया है कि पूर्व-मध्य रेलवे और उत्तर-पश्चिम रेलवे पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित किए गए/स्पष्ट किए गए अनुसार ऊपर उल्लिखित 09.03.2004 में निर्धारित निबंधों और शर्तों के अनुसार 31.3.2015 तक मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाए ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(के. शंकर)
नि./स्था.(वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)।।-98/एच.आर.ए-6 नई दिल्ली, दि. 24.07.2014

प्रतिलिपि :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित ।
2. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ ।

(के. शंकर)
नि./स्था.(वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड